कार्यालय आयुक्त
श्री उमरीत रतन 12/01/2018
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा
को प्रस्तुत।
No. 44

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

(8) (7)

प्रथम अपील क्र. /2018

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

PBR/अपील/इंदौर/भू.रा/2018/0683

मांगीलाल पिता ~~केसरसिंह~~ चुन्नीलाल
उम्र – 85 वर्ष व्यवसाय पेंशनर
निवासी – तेजाजी चौक, सांवेर
तहसील सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.) – प्रार्थी/अपीलार्थी

विरूद्ध

केसरबाई पति नानूराम
निवासी – ग्राम सांवेर, तहसील सांवेर जिला इन्दौर – प्रतिप्रार्थी/
रेस्पान्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 44(1) म.प्र. भू-राजस्व संहिता

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से सविनय निवेदन है कि –

प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सदर अपील, माननीय अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा प्रकरण क्र. 5/17–18/विविध में पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 से व्यथित व असंतुष्ट होकर सादर प्रस्तुत की गई है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/अपील/इंदौर/भू.रा/18/0683

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1—2—2018	अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—11—2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो जाने के उपरांत 2 वर्ष पश्चात् पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्ट अवधि बाह्य है तथा आवेदक के प्रकरण में अरूचि को दर्शाता है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नही की गई है। अतः यह अपील आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	